रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 28, 2014/श्रावण 6, 1936
No. 187] NEW DELHI, MONDAY, JULY 28, 2014/SHRAVANA 6, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2014

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : सिंगापुर के मूल की अथवा वहां से निर्यातित **पोलीप्रोपलीन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत।**

सं. 15/14/2014-डीजीएडी.—यत: 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 जिसे एतद्पश्चात नियमावली कहा गया है, को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने सिंगापुर (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पोलीप्रोपलीन (जिससे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर दिनांक 23.08.2010 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/05/2009-डीजीएडी द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। उक्त जांच परिणामों के आधार पर केन्द्र सरकार ने दिनांक 30.12.2011 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 130/2010-सीमा शुल्क और दिनांक 02.12.2013 की अधिसूचना संख्या 32/2013-सीमा शुल्क द्वारा यथासंशोधित दिनांक

19.11.2010 की अधिसचूना संख्या 119/2010-सीमा-शुल्क द्वारा संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था।

2. यत: मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (जिसे एतद्पश्चात "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने उक्त अधिनियम और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें सिंगापुर के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना और उसके परिणामस्वरूप क्षति होने की आशंका का आरोप लगाया गया है और सिंगापुर के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसे जारी रखने और बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

<u>घरेलू उद्योग और उसकी योग्यता</u>

3. यह आवेदन मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने दायर किया है, जो संबद्ध वस्तु का प्रमुख उत्पादक है। संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाली तीन अन्य कंपनियां है अर्थात् मैसर्स हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, मैसर्स इंडियन ऑयल कारपोरेशन और मैसर्स एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदक का कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है और वह वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच का आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी योग्यता को पूरा करता है। आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग भी है।

<u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तुएं</u>

4. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद जैसाकि मूल जांच में परिभाषित है "पोलीप्रोपलीन" (अर्थात् प्रोपलीन के सम-पोलीमर और प्रोपलीन तथा एथेलीन को-पोलीमर) ईपीपी डीड्स (विस्तारित पोलीप्रोपलीन) को छोड़कर, है। टेर-पोलीमर भी जांच के दायरे और कार्यक्षेत्र के भीतर नहीं है। संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग सीमेंट, खाद्यान्, चीनी, उर्वरक के बुने हुए बोरों, फलों और सब्जियों के विनिर्माण, टीक्यू और बीओपीपी फिल्मों, कंटेनरों आदि के विनिर्माण में होता है। विचाराधीन उत्पाद को सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और सीमा-शुल्क वर्गीकरण के अनुसार आगे 39021000 और 39023000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि सीमा-शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है। जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा पहले अधिसूचित जांच परिणामों में विचाराधीन उत्पाद के दायरे के समान ही रहेगा।

5. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु जिनका भारत में पाटन में किया जाता रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के बीच तकनीकी विनिर्देशनों और कार्यों या अंतिम उपयोगों की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं सिंगापुर से पाटित वस्तुओं की "समान वस्तु" है। पाटित वस्तुओं और याचिकाकर्ता द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए इन्हें पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत "समान वस्तुएं" माना जाना चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को वर्तमान समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

<u>शामिल देश</u>

6. वर्तमान याचिका सिंगापुर (जिसे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के संबंध में दायर की गई है।

जांच अवधि

7. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक (12 महीने) की है। तथापि, क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ पिछले तीन वर्षों अर्थात अप्रैल 2010 से मार्च 2011, अप्रैल, 2011 से मार्च 2012, अप्रैल 2012 से मार्च 2013 और जांच अवधि (पीओआई) के आंकड़ों पर विचार किया गया है।

निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत

8. विधिवत रूप से दायर साक्ष्यांकित आवेदन को ध्यान में रखते हुए और नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क(5) के अनुसार आवेदन के आधार पर प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने की जरूरत और उसे बढ़ाने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन की जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने या घरेलू उद्योग को क्षति होने की आशंका है, इस निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं।

प्रक्रिया

9. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में दिनांक 23.08.2010 की अंतिम जांच परिणाम अधिसचूना संख्या 14/05/2009-डीजीएडी द्वारा मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल हैं।

10. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

11. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देश की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य विभाग
जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल,
5, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

12. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

समय-सीमा

13. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनांक (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजा जाना चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

14. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस समीक्षा जांच की शुरूआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

15. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सैटों (क) गोपनीय रूप से अंकित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।
16. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां सॉफ्ट प्रतियों के साथ, प्रस्तुत की जानी चाहिए।
17. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना हेतु; सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है।
18. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है; तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों सभव नहीं है।
19. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
20. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं ले सकते हैं। संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार का उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

21. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

22. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे.के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2014

(Sunset Review)

Subject: Initiation of Sunset Review Investigation of Anti-dumping duty on import of Polypropylene originating in or exported from Singapore

No 15/14/2014-DGAD.— Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter also referred to as Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as Rules), the Designated Authority (herein after referred to as Authority) recommended imposition of Anti-dumping Duty on imports of Polypropylene (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Singapore (hereinafter referred to as Subject Country) vide Final Findings Notification No. 14/05/2009-DGAD dated 23.8.2010. On the basis of the said findings, the Central Government imposed definitive anti-dumping duties on the subject goods imported from subject countries vide Notification No. 119/2010–Customs dated 19.11.2010, as amended by custom Notification No.130/2011 dated 30.12.2011 and Notification No. 32/2013-Customs, dated the 2.12.2013.

2. Whereas, M/s Reliance Industries Ltd., (hereinafter referred to as "domestic industry") has filed an application before the Authority in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from Singapore and consequent injury and have requested for review, continuation and enhancement of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from Singapore .

Domestic Industry and Standing

3. The application has been filed by M/s Reliance Industries Limited, major producer of the subject goods. There are three other companies producing the subject goods namely M/s Haldia Petrochemicals, M/s Indian Oil Corporation and M/s HPCL-Mittal Energy. As per the information available on record, the applicant accounts for a major proportion of the total domestic production and satisfy the requirement of standing to file the present sunset review application. The applicant also constitutes the domestic industry within the meaning of the term in Rule 2(b) of the Rules.

Product under Consideration and Like Articles

4. The product under consideration in the present application, as defined in the original investigation, is "Polypropylene (i.e., homo-polymers of propylene and copolymers of propylene and ethylene) excluding EPP beads (Expanded Polypropylene). Ter- polymer is also not within the ambit and scope of the investigation. The subject goods are used for manufacture of woven sacks for cement, food-grains, sugar, fertilizer, bags for fruits & vegetables, TQ & BOPP films, containers etc. The product under consideration is classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 39021000 and 39023000 as per Customs Classification. However, Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation. The scope of the product under consideration in the investigation shall remain the same as the scope of the product under consideration in the findings earlier notified.

5. Petitioner has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. Hence, the goods produced by the domestic industry are 'Like Article' to dumped goods from Singapore. There is no difference in the dumped goods and the product under consideration manufactured by the petitioner. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like articles' under the Anti Dumping. The subject goods produced by the petitioner is being treated as 'like article' to the subject goods being imported from the subject country for the purpose of the present review investigation.

Country Involved

6. The present petition is filed, in respect of the dumping of the product under consideration from Singapore (referred to as 'Subject Country').

Period of Investigation

7. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st April, 2013 to 31st March, 2014 (12 months). However, for the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e. April 2010 to March 2011, April 2011 to March 2012, April 2012 to March-2013 and the period of investigation (POI) has been considered.

Initiation of Sunset Review

8. In view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition and need for enhancement of anti dumping duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Procedure

9. The present sunset review covers all aspects of the final findings of the original investigation vide final findings Notification No. 14/05/2009-DGAD dated 23.8.2010

10. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

11. The known exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, the known importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority

Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties

Department of Commerce,

Jeevan Tara Building, 4th Floor

5, Parliament Street

New Delhi -110001

12. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time Limit

13. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

14. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire's responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the AD measures within 40 days from the date of initiation of this review investigation.

Submission of information on confidential basis

15. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as non-confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

16. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version along with soft copies must be submitted.

17. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

18. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out/summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

19. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

20. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file

21. In terms of Rule 6(7) of the Rules any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

22. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

J K DADOO, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.